

संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/10/16

// महत्वपूर्ण सूचना //

SLP (c) No. 29209/2016-Om Singh Shekhawant Vs. State of M.P. & Anr. के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 को जारी आदेश पर श्री सौरभ मिश्रा शासकीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा ई-मेल से सूचित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में जो आवंटन सूची 02.10.2016 को एम.पी. ऑनलाईन द्वारा जारी की गई थी उसे मान्य करते हुए उसी के आधार पर मध्यप्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाये तथा इस चरण के उपरांत रिक्त रही सीटों के आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया ऑफ लाईन काउंसिलिंग द्वारा, एम.पी. ऑनलाईन रजिस्टर्ड डोमेसाईल एवं नॉनडोमेसाईल अभ्यर्थियों की नीट(यू.जी.)-2016 की कॉमन मेरिट लिस्ट से की जायेगी।



संचालक

चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

W